

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री मदन लाल

दिनांक : 07.06.2018

विधान सभा अतारंकित प्रश्न संख्या : 72

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पुल पिलंजी के समीप नगर निगम का कूड़ादान बहुत बुरी स्थिति में है और टनों कूड़ा महीनों से नाले पर बने पुल के पास सड़क पर पड़ा हुआ है; और	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पुल पिलंजी के पास बने कूड़ेदान को PWD के द्वारा बारापुला एलिवेटेड प्रोजेक्ट के बीच में संरक्षण में आने के कारण तोड़ा गया था तथा उसी जगह नया कूड़ेदान PWD के द्वारा बनाया गया है। इस कूड़ेदान पर आप-पास के क्षेत्र का कूड़ा M/s DSSIL के द्वारा रखे गये लोहे के छ: डिब्बा (1100 लीटर capacity each) के अन्दर इकठ्ठा किया जाता है व उसे रोजाना दिन में दो बार। इस कूड़ेदान से प्रत्येक दिन लगभग 5 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है। यह कूड़ा Mobile Compactor Transfer Station (MCTS) द्वारा उठाया जाता है। कूड़ेदान के पास पड़े मलबे एवं सिल्ट को उठवा दिया जाता है।
ख	क्या इस कूड़े को हटाने और इस क्षेत्र को कूड़ा मुक्त रखने की सरकार की कोई योजना है?	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में स्थित कूड़ेदानों से नियमित रूप से रोजाना दिन में दो बार कूड़ा उठाया जाता है तथा पुल पिलंजी में लगभग 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के पास नगर निगम द्वारा क्षेत्र का कूड़ा इकठ्ठा करने एवं उठवाने के लिए Fixed Compactor Transfer Station (FCTS) लगाया गया है जोकि पूरे दिन कार्यरत्त रहता है। इस Fixed Compactor Transfer Station (FCTS) द्वारा प्रतिदिन लगभग 20 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है।


R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat